नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मारकर घायल किया

बीजापुर, 30 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मार दी। घायल पूर्व सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि जिले के चिहका गांव के पूर्व सरपंच बोटी लेकाम (55) को नक्सलियों ने गोली मार दी है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बीते रविवार की रात को हथियारबंद नक्सली लेकाम के घर पहुंचे और उसे घर से बाहर निकालकर गोली मार दी।

घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तब लेकाम को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लेकाम के पैर में गोली मारी गई है तथा उसकी हालत खतरे से बाहर है।

प्रपत्र सं आइएनसी 26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) की उपधारा और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) के उपनियम के खंड (अ) के मामले में

और

त्रिक्षम मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एच नम्बर 3706 हिल रोड ए./कैंट, अंबाला कैंट, अंबाला एचआर 133001 म में स्थित है के मामले में

......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **हरियाणा राज्य से पंजाब राज्य** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **27 दिसम्बर, 2019 का सुबह 11:00 बजे** आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे दिये गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

एच नम्बर 3706 हिल रोड ए./कैंट, अंबाला कैंट, अंबाला एचआर 133001

उनके लिए और निदेशक मंडल की ओर से
त्रिक्षम मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
धनश्याम गुप्ता
डीआईएन : 08381050
निदेशक

तिथि : 28.12.2019
स्थान : हरियाणा

IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838
शाखा- मुरादाबाद
ईमेल- ankur.garg@idbi.co.in

परिशिष्ट-IV नियम-8(1) सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईडीबीआई बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) की धारा 13(12) और प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग नोटिस दिनांक 18.10.2019 को जारी करते हुए ऋणी श्री कमल कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, मैसर्स श्री बाबाजी ट्रेडर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित रूपये 22,54,996.00 (रूपये बाईस लाख चौवन हजार नौ सौ छियानवें मात्र) की राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी एवं आमजन को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की उप- धारा (4) एवं धारा 13 के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और किये गये व्यवहार पर आईडीबीआई बैंक लि. के रू. 22,54,996.00 (रूपये बाईस लाख चौवन हजार नौ सौ छियानवें मात्र) एवं उसके पश्चात ब्याज एवं प्रभार के अध्यधीन होगा। ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

रिहायसी मकान के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है, जिसका क्षेत्रफल 44.6520 वर्ग मीटर जो नवाबपुरा, जिला-मुरादाबाद-244001 में स्थित है, जिसकी सीमाएं- उत्तर: गली, दक्षिण: चन्द्रसेन का मकान, पूर्व: गली, पश्चिम: चुन्ना का मकान।

सभी भवनों तथा उसके ढांचों के साथ तथा समस्त प्लान्ट एवं मशीनरी जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़े हुए है अथवा उनका कोई हिस्सा भूमि से जुड़ा हो के साथ।

दिनांक 26.12.2019 स्थान : मुरादाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

माननीय राष्ट्रीय लॉ ट्रिब्यूनल,
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ
के समक्ष
सीए (सीसीए) सं. 34 /सीएचडी /सीएचडी / 2019
के साथ जुड़ी कंपनी याचिका (सीएए) सं. 24 / सीएचडी / सीएचडी /2019

इनके समामेलन की योजना के मामले में :

सहयोग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय : पैन सं. : AABCS1639K के साथ एससीओ – 69, पहला तल, सेक्टर – 32सी, चंडीगढ़ 160030 (सीआईएन – U74899CH1995PTC042510) में है।
.... अंतरणकर्ता कंपनी – 1

और

चंद्र मुखी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय : पैन नं. : AACCC3097N के साथ एससीओ – 69, पहला तल, सेक्टर – 32सी, चंडीगढ़ 160030 (सीआईएन – U51909CH1995PTC042509) में है।
.... अंतरणकर्ता कंपनी – 2

के साथ

विमी इंवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : पैन नं. : AAACV0590M के साथ एससीओ–69, पहला तल, सेक्टर–32सी, चंडीगढ़ 160030 (सीआईएन – U74110CH1992PTC042512)
.... अंतरिती कंपनी

याचिका की सूचना

सहयोग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (''याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी''), **चंद्र मुखी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड** (''याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरणकर्ता कंपनी'') और **विमी इंवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** (''याचिकाकर्ता सं. 1 / अंतरिती कंपनी'') के बीच समामेलन की योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत याचिका पर दिनांक 02.12.2019 को सुनवाई हुई थी और दिनांक 06.12.2019 के आदेश द्वारा, उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष 05.02.2020 से पहले सुनवाई के लिए निर्धारित है।

उक्त याचिका का समर्थन करने या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ताओं के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को, उसकी इच्छा की सूचना, उसके या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ भेजना चाहिए, ताकि यह याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से दो दिन पहले याचिकाकर्ताओं के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तक पहुंच सके। जहां, वह याचिका का विरोध कर सकता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को एक प्रति के साथ इस तरह के नोटिस के साथ दी जाएगी। याचिका की एक प्रति के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समान आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

हस्ता./–
नहुष जैन, वकील
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पता : नं. 3411, पहला तल, सेक्टर – 38–डी
चंडीगढ़ – 160036

स्थान : चंडीगढ़
दिनांक : 31.12.2019

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 इंस्टीटूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फोन:– 28522085, 28525232 फैक्स–011–28522085, ई–मेल:– ambdl@nic.in,
वेबसाइट:– www.delagrimarket.nic.in

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष डी ए एम बी, की ओर से ई–निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	पूरा करने की अवधि	ई– प्रोक्योरमेंट समाधान के माध्यम से निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. संख्या/ एन.आई.टीः
1	मछली बाजार गाजीपुर में पार्क (बागवानी का कार्य) 04 नग का विकास और वार्षिक रखरखाव करना	Rs. 11,89,854/-	Rs. 23,800/-	3 महीने व कार्य पूरा होने के बाद 2 साल का रखरखाव करना	09/01/2020 को 15.00 बजे तक	2019_डी.ए.एम.बी._186516_1 16/डी.ए.एम.बी./ इंजी/पी ई–II/ 2019–20

निविदाएं परियोजना अभियंता–II, 9 इंस्टीटूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेंगीः– (i) तकनीकी बोली दिनांक 09/01/2010 को 15:30 बजे खोली जाएगी।

नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाइटः– **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./–
परियोजना अभियंता–II

DIP/Shabdarth/1210/19-20

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी.
मण्डल कार्यालय – सी–18बी, दीन दयाल पुरम, बरेली–243122, फोन : 0581-2310672, ई–मेल: co.bar@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	**शाखाः फरीदपुर, बरेली, यू.पी** **मैसर्स अब्बास फैशन प्वाइंट (प्रोप. सहादत मियां पुत्र सिद्दीकी अहमद**	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी मकान नं. 70 मोहल्ला मिर्धन कस्बा तहसील–फरीदपुर, जिला बरेली, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शाहदत मियां पुत्र सिद्दीकी अहमद के नाम पर है। जिसका क्षेत्रफल 119.00 वर्ग गज, टाईटल डीड पंजीकृत दिनांक 27.04. 1987 बही नं. 1, जिल्द नं. 679 पेज 245 ए डी बुक नं. 1, जिल्द नं. 695 पेज 11–12 क्र.सं. 1006 सब रजिस्ट्रार फरीदपुर, जिला बरेली, यू. पी. में पंजीकृत, चौहदी : पूरब में – रफीक अहमद का मकान, पश्चिम में – नियाज़ अहमद का मकान, उत्तर में – रास्ता, दक्षिण में – अबचक के बाद मोहम्मद इस्माईल की सम्पत्ति	**09-10-2019** **30-12-2019**	**₹8,76,065.62** दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार
2	**शाखाः रामनगरिया, रामपुर, यू.पी** **श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी पहलवाल सिंह**	साम्यिक बंधक दो मंजिला रिहायशी मकान क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी., संत नगर कॉलोनी, बिलासपुर खास (एसडीएम कोर्ट के पीछे) बिलासपुर, जिला रामपुर, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी पहलवाल सिंह के नाम पर है। टाईटल डीड पंजीकृत दिनांक 22.10.2007, खंड नं. 868, पेज नं. 329 से 346, क्र.सं. 5022 सब रजिस्ट्रार बिलासपुर, जिला रामपुर, यू.पी. में पंजीकृत, चौहदीः उत्तर में – अन्य का प्लॉट, पूरब में – लक्ष्मी देवी का मकान, दक्षिण में – 15फीट रास्ता, पश्चिम में – सुरेश चंद्र का प्लॉट	**06-09-2019** **26-12-2019**	**₹8,00,397.00** दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार
3	**शाखाः तिलहर, शाहजहांपुर, यू.पी** **श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री सूबेदार सिंह – श्री हरिओम सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह**	साम्यिक बंधक रिहायशी मकान (प्लॉट नं. 151 का हिस्सा) मोहल्ला बंनवारीपुर, सिंह कॉलोनी तिलहर शाहजहांपुर, यू.पी. में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 114 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री सूबेदार सिंह के नाम पर है। टाईटल डीड पंजीकृत दिनांक 25.06.2004, बही नं. 1, जिल्द नं. 2016 पेज नं. 165 से 184, क्र.सं. 4330 सब रजिस्ट्रार तिलहर जिला शाहजहांपुर में स्थित, चौहदी : पूरब में – शकील मोहम्मद, पश्चिम में – अनिल कुमार सिंह, उत्तर में – रास्ता, दक्षिण में – जसबीर का मकान	**09-10-2019** **30-12-2019**	**₹1,71,698.00** दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार

दिनांक 30-12-2019, स्थान : बरेली/रामपुर/शाहजहांपुर/यू.पी.
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II
जल सदन, लाजपत नगर, नई दिल्ली
एन.आई.टी. सं. 48/एस–II/2019–20

प्रैस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एस)II (एसी–41, जंगपुरा) के अंतर्गत निजामुद्दीन वेस्ट तथा धोबी घाट, भोगल के निकट मंदिर से बारापुल्ला ड्रेन में आने वाली डिस्चार्ज का ट्रैपिंग।	रु. 4238080/–	2019_DJB_186601_7 27.12.2019	16.1.2020 के 2.00 बजे अप. तक।
2.	ईई (एस) II (एसी–41, जंगपुरा) के अंतर्गत मथुरा रोड से बस्ती निजामुद्दीन तक वाटर लाइन का विस्थापन।	रु. 4049670/–	2019_DJB_186601_8 27.12.2019	16.1.2020 के 2.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/743

हस्ता./–
कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II

वसूली अधिकारी–I का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ई–नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 89/2014
दिनांकित : 23–11–2019

केनरा बैंक बनाम रोमी मल्होत्रा

''आदेश''

मेरे आदेश दिनांकित 23–11–2019 के अनुसार उक्त वसूली प्रमाणपत्र में निम्नवर्णित सम्पत्ति केनरा बैंक बनाम रोमी मल्होत्रा के मामले में ई–नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी।

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.drtauctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समय : 31–01–2020 को अपराह्न 03.00 बजे और अपराह्न 04.00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)।

क्र.सं.	दोनों आरसी में संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	प्लॉट नंबर 106/12, न्यू नंबर 106/12–ए खसरा नंबर 106/12 विलेज मुंडका कॉलोनी का हिस्सा है, जिसे दिल्ली में 'स्वर्ण पार्क' के नाम से जाना जाता है, जो 410 वर्ग गज का है।	रु. 60,00,000/– ईएमडी– 6,00,000/–

नियम और शर्त

1. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकृत करना होगा तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर ही वह प्राप्त किया जा सकता है।
3. **ईएमडी का भुगतान 29.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी–I, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली** के पास करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलागी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल न. तथा यदि व अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई–मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्योर), ए–201/208, वॉल स्ट्रीट– II, ओरिएंट क्लब के सामने गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद –380006 गुजरात (भारत) दूरभाषः 91 079 61200594/598/ 568/ 587/ 538 से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं** तथा ई–नीलामी एवं यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' द्वारा वेबसाइटः **http://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
   अधिक जानकारी के लिए श्री नीतीश झा मोबाइल नं. 7982880393 ईमेलः delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से संपर्क करें।
6. **किसी भी प्रकार की पूछताछ और संपत्ति के निरीक्षण के मामले में, इच्छुक क्रेता सीएच बैंक के अधिकारी से संपर्क कर सकता हैः अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: श्री सी. वी. रॉय, मोबाइल नं.: 9560062365, 011–28751655, 28751723, श्री एम. के. पांडे, मोबाइल नं. 8755128475।**
7. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट **https://www.drt.auctiontiger.net** पर जाएं।
8. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
9. बोलीदाता **रु. 1,00,000/–** के गुणांक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
10. संपति की बिक्री **"जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर"** की जाएगी।
11. सफल बोलीदाता को **बिक्री की घोषणा के अगले दिन यानी 3:00 बजे अप. उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता** में ईएमडी को समायोजित करने के बाद **25% बिक्री मूल्य** का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है, तो फिर अगले कार्य दिवस को।
12. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु.1000/– तक 2% की दर से तथा रु.1000/– की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
13. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद, संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को चुकाने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
14. वसूली अधिकारी को किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना किसी कारण बताए ई–नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
15. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें, जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/ परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली

जीआईसी हाउसिंग फाइनैंस लि.

मुख्य कार्यालयः– नैशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, छठा तल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400 020
नौएडा शाखा कार्यालयः 104–105, प्लॉट नम्बर पी–1, प्रथम तल, विशाल चैम्बर्स, सेक्टर–18, नोएडा–201301
टेलीफोन नम्बर : 0120–4205678, 4213037, 2511751, 2514145

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की धारा 13 (2) के अधीन

जीआईसी एचएफ लिमिटेड ने निम्नलिखित कर्जदारों को जीआईसी एचएफ लिमिटेड के पक्ष में साम्यिक बंधक सृजन द्वारा निर्माणाधीन परिसर के क्रय हेतु ऋण मंजूर किए हैं। ऋणों का प्रतिभुगतान अनियमित है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्देशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खाता अंततः अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

जीआईसी एचएफ लिमिटेड ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है तथा कर्जदारों से उनकी तरफ बकाया कुल राशि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 से अनुसरण में संबंधित मांग सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई है। कर्जदार ने उक्त सूचना की प्राप्ति स्वीकार नहीं की है।

अतएव, एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्जदारों से दोबारा सार्वजनिक रूप से उनकी तरफ बकाया यहाँ नीचे वर्णित कुल राशि का भुगतान उस पर ब्याज एवं प्रभारों सहित आज की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर जीआईसी एचएफ लिमिटेड परिसर का कब्जा प्राप्त करने इसको बेचने तथा बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि उक्त बकाया राशि से समायोजित करने के लिए अपने किसी भी या सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग करेगी।

कर्जदार पर सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण अथवा उसके संबंध में तृतीय पक्ष हित सृजित करने पर भी रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण फाइल संख्या व ऋण धारक का नाम	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि नोटिस की तिथि तक	डिमांड नोटिस की तिथि
1	यूपी0211300104109 श्री संजय शर्मा और श्रीमती अशर्फी शर्मा	खसरा नं. 1316, रेलवे रोड, एसकोर्ट कॉलोनी, अग्रसेन इंटर कॉलेज के पास दादरी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–203207	4,93,255/-	06.12.2019
2	यूपी0211300103554 श्री राजकुमार अरोड़ा और श्रीमती संगीता अरोड़ा	फ्लैट नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 218, सेक्टर नं. 4, वैशाली, उत्तरप्रदेश, पिनकोड–201010	6,73,459/-	06.12.2019
3	यूपी0210610002492 श्री रोबिन कांत उपाध्याय और श्रीमती सरोज उपाध्याय	हाऊस नं. 387, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 387, शक्ति खण्ड–III, इंदिरापुरम, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201010	35,16,503/-	06.12.2019
4	यूपी0210610002697 श्री आर्यन झा	खसरा नं. 1154, हंस कॉम्पलेक्स, फ्लेट नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर–40, गौतमबुद्ध नगर, बरौला, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201301	10,36,402/-	06.12.2019
5	यूपी0210610001794 श्री अनुराम गौर और श्रीमती गरिमा गौर	फ्लैट नं. 15 द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी–83 और 84, केसर गार्डन, हिंडन विहार, बरौला, दादरी, उत्तर प्रदेश पिनकोड–203207	16,69,273/-	06.12.2019
6	यूपी0210610002320 श्री इंदरपाल सिंह जौली	फ्लैट नं. बी–8, फस्ट, प्लॉट नं. बी–17–18, आर्य विहार, सैक्टर–73 के पास, सर्फाबाद, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201304	17,95,955/-	06.12.2019
7	यूपी0211300102475 श्री राम प्रकाश और श्री दीपक कुमार	खसरा नं. 121, प्लॉट नं. 193/1, विकास कुंज कॉलोनी बेहटा, बेहटा हाजीपुर, लोनी, यू0पी0 पिन कोड–201102	3,27,885/-	06.12.2019
8	यूपी0211300100911 श्री स्नेह दीप सिंह	फ्लैट नं. एस–2/बी, द्वितीय तल अपार्टमेन्ट सी–2 कोष, कोशाम्बी, लोनी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201012	2,84,183/-	06.12.2019
9	यूपी0211300100893 श्री अनिल कुमार	खसरा नं. 436, कुल्हेशरा फेश–II, दादरी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201306	2,14,716/-	06.12.2019
10	यूपी0211300100902 श्री भगवान कौशिक	खसरा नं. 31/3, लेंडमार्कः एनएच–24, डून्डाहेडा, लोनी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201306	2,57,821/-	06.12.2019
11	यूपी0211300103642 श्री मनीष भटट्	फ्लैट नं. 9, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी–12, केसर गार्डन के सामने, हिंडन विहार, बरौला, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड–201301	9,10,627/-	06.12.2019
12	यूपी0210610002189 कु. आरती लूथरा	शुभकामना अपार्टमेन्ट, अपर ग्राउंड, खसरा नं. 237, सेक्टर–104, लोटस 3सी के पास, भंगेल बेगमपुर, नोएडा, उ0प्र0 पिन–201301	15,21,128/-	06.12.2019
13	यूपी0211300101462 श्री हाजी इंतेराज और श्री मो0 शहजाद	नगर निगम नं. 37, लेंड मार्कः 10, सरायजीना, मेरठ सिटी, लोनी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–250002	5,35,320/-	06.12.2019
14	यूपी0210610002372 श्री रवि भाटिया	फ्लैट नं. 302, तृतीय तल, खसरा नं. 230 – 234, साईं रेजीडेंसी, सेक्टर–73, सर्फाबाद, नोएडा पिन कोड–201301	10,44,287/-	16.09.2019
15	डीएल0210610001862 श्रीमती बिमला देवी और श्री प्रेम कुमार अग्रवाल	म.नं. 157–158, द्वितीय तल, पॉकेट–11, सेक्टर–22, रोहिणी, बुद्ध विहार, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली–110086	27,56,468/-	14.05.2019
16	यूपी0210610003012 श्री सुबोध गोस्वामी और श्रीमती ममता रानी	म.नं. 107, ब्लॉक–ए, खसरा नं. 529, गली नं. 3, राम श्याम एन्क्लेव, गांवः छिपयाना बुजुर्ग, तहसीलः दादरी, जिला–गौतमबुद्ध नगर, पिन कोड–201009	25,93,528/-	14.05.2019
17	यूपी0210610001895 श्री भारतेन्दु रंजन	फ्लैट नं. 600, ग्राउंड फ्लोर, फ्लैट, न्याय खंड–I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, पिन कोड–201011	9,32,586/-	25.07.2019

यह नोटिस कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पते के बाहरी दरवाजे पर भी चस्पा किया जा रहा है।

वास्ते जीआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
हस्ताः/–
प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 31.12.2019
स्थानः नोएडा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत योजना जमा करने के लिये आमंत्रण

केएसएस पेट्रॉन प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

पंजीकृत कार्यालयः स्वास्तिक चैम्बर्स, छ ठा तल, सिऑन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई–400071, महाराष्ट्रः CIN:U45400MH2007PTC234297

केएसएस पेट्रॉन प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणधारक/कम्पनी के सदस्यों अथवा उनके/क्रेडीटरों के किसी वर्ग अथवा उनके किसी वर्ग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत समझौता तथा व्यवस्था की योजना के आमंत्रण की सूचना पर ध्यान दें।)

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत योग्य कम्पनी के इच्छुक सदस्यों/क्रेडीटरों कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिये अपनी योजना ईमेल द्वारा उनके नीचे वर्णित किसी भी ईमेल आईडी पर अथवा मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय के पते पर अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर सकते हैं। इस संदर्भ में कोई भी पूछताछ अधोहस्ताक्षरी को संबोधित की जा सकती है। यह योजना अधिकतम 30.01.2020 तक जमा की जा सकती है।

हस्ता./–
सीएस विनीत के चौधरी
(परिसमापक)
केएसएस पेट्रॉन प्राईवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-2018/10246
liquidatorksspetron@vkcindia.com (प्रक्रिया विशेष)
ip.vineetchaudhary@gmail.com (आईबीबीआई में पंजीकृत)
टेलीफोन नम्बरः 011–49121644–45
आईबीबीआई में पंजीकृत परिसमापक का पता
डी–38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्स्टेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली–110049
तिथिः 30.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र स. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

बी आर प्लानर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ''फ्लैट नं.–ए–1, साई अपार्टमेन्ट, एक्स्पोर्ट एन्क्लेव, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली–110062'' में है, के मामले में

---आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, सितम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौहद दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजी. कार्यालयः
''फ्लैट नं.–ए–1, साई अपार्टमेन्ट, एक्स्पोर्ट एन्क्लेव, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली–110062''

कृते एवं के लिये, बी आर प्लानर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
दीप माथुर
निदेशक
DIN: 03037557

तिथिः 30.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

DEWAN SUGARS LIMITED

CIN: L67120UP1996PLC020075
R.O.: Bypass Road, Partapur, Meerut, Uttar Pradesh- 250103
Tel. No.: +91-121-2441003, **Email ID:** dewansugars@hotmail.com
Website : www.dewansugarsindia.com

This Public Announcement (**"PA"**) is being issued by Mr. Vivek Dewan one of the promoters of Dewan Sugars Limited (**"the Company"** or **"Dewan Sugars"** or **"ELC"**) on behalf of promoters & promoter group to the public shareholders of Company, pursuant to the circular issued by the **Securities and Exchange Board of India ("SEBI")** bearing No. CIR/MRD/DSA/05/2015 dated 17th day of April 2015 and **Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated 10.10.2016.**

The equity shares of your Company were listed at Delhi Stock Exchange Limited, Uttar Pradesh Stock Exchange Limited and Ahmedabad Stock Exchange Limited, which have been derecognized by SEBI, thus your Company lost its status as a Listed Company and has been referred to Dissemination board of BSE Limited.

The promoters of the Company have appointed Khambatta Securities Limited a SEBI registered Category- 1 Merchant Banker and empanelled with BSE Limited as an Independent Valuer. The said independent Valuer in its valuation report has determined that the Networth of Company is negative and the fair value of equity share of the Company is Rs. (26.13) per share. Thus as per aforesaid SEBI Circular and Guidelines issued by BSE in this behalf, the Company is applying to BSE Limited for removal of its name from Dissemination Board of BSE Limited without giving any exit option to public shareholders.

All queries in this regard may be directed to Mr. Rakesh Kumar Agarwal, at Bypass road, Partapur, Meerut, Uttar Pradesh Tel. No.: +91- 121-2441003, Mobile: +91-90846-72914, Email Id: dsluday@gmail.com

Sd/-
Vivek Dewan
Promoter & Director
Dewan Sugars Limited

Place : Meerut
Date : 30.12.2019

कब्जा सूचना

जबकि, **असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/ सह–कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रू. में)/ मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	प्रशांत शर्मा /सुशांत शर्मा/ गायत्री शर्मा / 197GUR32922	रु. 29,95,698.09 14 नवंबर 2018	सांकेतिक 27 दिसम्बर 2019

प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नंबर टी– III नंबर – 702, 7वीं मंजिल, ब्लॉक ट्यूलिप – III लोटस के नाम से जाना जाता है। गुलमोहर गार्डन में स्थित, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यू.पी.।

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे है, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का सांकेतिक कब्जा 27 दिसंबर, 2019 को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 31–12–2019

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : **U65999MH2002PLC134884**, वेबसाइट : **www.arcil.co.in**
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, फोन : + 91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीबीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060, फोन : 011–46370406

Paramount Communications Ltd.
PARAMOUNT CABLES
CIN: L74899DL1994PLC061295
Regd. Office: Paramount House,
C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028
Ph: 011-45618800, **Fax:** 011-25893719-20
E-mail: pcl@paramountcables.com, **Website:** www.paramountcables.com

RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions, if any, all the members of Paramount Communications Limited (**the "Company"**) and all other concerned authorities are hereby informed, that member's approval by way of Postal Ballot including Electronic voting was sought by the Company for the resolution contained in the Postal Ballot Notice dated 8th November, 2019(**"the Notice"**).

The Notice containing the Resolution together with the explanatory statement annexed thereto was sent to all the Members of the Company and the last date of receipt of Postal Ballot Forms, either through physical submission of Postal Ballot Forms by the Members of the Company in postage pre-paid self-addressed envelope or through e-voting was Saturday, 28th December, 2019. Mr. Abhishek Mittal, Proprietor of M/s Abhishek Mittal & Associates, (M No. F7273, CP No.7943) was appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The details of the voting results of the resolution passed through Postal Ballot process (including e-voting) is reproduced hereunder:

Resolution No.	Particulars	Consolidated Results (e-voting and Postal Ballot Forms)			
		Total valid votes cast in favor of the resolution	Total valid votes cast against the resolution	% of votes cast in favor of the resolution	% of votes cast against the resolution
1	Issue of upto 2,24,00,000 (Two Crore Twenty Four Lakhs) Equity Warrants convertible into equal number of equity shares to Promoters and persons/entities belonging to Promoter Group on preferential basis.	98,26,554	1,53,690	98.46%	01.54%

Accordingly, the proposed Special Resolution stands duly approved by shareholders with requisite majority. The detailed Scrutinizer's Report is available at the website of the Company and the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

For **Paramount Communications Ltd.**
Sd/-
(Rashi Goel)
Compliance Officer & Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 30.12.2019

www.readwhere.com